न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी–
स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.
वाद संख्या 10/2021
अर्न्तगत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

गुरमीत कौर पुत्री हुकम सिंह, पत्नी श्री संतोख सिंह जाति रायसिख निवासी 3 सी बडी तह० व जिला श्री गंगानगर हाल निवासी 61 एफ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
.... वादिया

ब ना म

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादी

उपस्थित– श्री मनीष बिश्नोई (अधिवक्ता वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–1)

दिनांकः 28 नवम्बर, 2024

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार चक 1 सी बड़ी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता सख्या 62/56 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 1 ता 25 में 1.177 हैक्टे0 बारानी, 4.872 हैक्टे0 नहरी 0.151 हैक्टे0 खाला व मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 9/2 से 25/2 में 3.657 हैक्टे0 नहरी, 0.429 हैक्टे0 खाला कुल तादादी 10.286 हैक्टे0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमे वादिया का 127/10286 हिस्सा दर्ज कागजात माल हैं। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादिया का नाम गुरमीतो बाई पुत्री हाकम सिंह दर्ज है।

वादिया रायसिख जाति से है और वादिया का पीहर पक्ष में नाम गुरमीतो बाई प्रचलित था और वादिया का ससुराल में नाम गुरमीत कौर है। वादिया का पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड में नाम गुरमीत कौर पत्नि संतोख सिंह दर्ज है। इस प्रकार वादिया के कुल दस्तावेजी साक्ष्य वादिया के गुरमीत कौर पत्नि संतोख सिंह के नाम से बनें हुए है। वादिया का वास्तविक व सही नाम भी गुरमीत कौर है। वादिया के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम में व वादिया के दस्तावेजात में दर्ज नाम में भिन्नता होने से वादिया कृषि भूमि पर ऋण सुविधा नहीं ले पा रही है।

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे। घोषित किया जावे कि वाके चक 1 सी बड़ी जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075 के खाता संख्या 62/56 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 1 ता 25 में 1.177 हैक्टे0 बारानी, 4.872 हैक्टे0 नहरी 0.151 हैक्टे0 खाला व मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 9/2 से 25/2 में 3.657 हैक्टे0 नहरी, 0.429 हैक्टे0 खाला कुल तादादी 10.286 हैक्टे0 भूमि में गुरमीतो बाई पुत्री हाकम सिंह के 127/10286 हिस्से की स्वामिनी गुरमीत कौर पुत्री हुकम सिंह पत्नि संतोख सिंह है।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर होने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.04.2021 को जवाब राज्य की ओर से प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादिया का नाम गुरमीतो बाई उर्फ गुरमीत कौर पुत्री हुकम सिंह पत्नि संतोख सिंह किया जाना उचित होगा।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत उसका

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

जन आधार कार्ड सं0 4614151207, पहचान पत्र सं0 LZY/1415678, आधारकार्ड सं0 676831216989, वादिया के पति संतोख सिंह के नाम से राशन कार्ड भी बना हुआ है, जो कि 61 एफ, तहसील करणपुर के पते का है का अवलोकन किया। उक्त सभी दस्तावेजात में वादिया का नाम गुरमीत कौर पत्नि संतोख सिंह निवासी 61 एफ, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर दर्ज है। सरपंच, ग्राम पचायत 61 एफ, श्रीकरणपुर द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट के अनुसार ग्राम पंचायत की गुरमीत कौर पुत्री श्री हुकम सिंह पत्नी श्री संन्तोंख सिंह जाति रायसिंख हाल निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गुरमीतो बाई पुत्री हुकम सिंह एक ही महिला है, इस नाम की अन्य महिला हुक्म सिंह की पुत्री नही है। तथा तहसीलदार भू. अ., श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 06.04.2021 को प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत के अनुसार वादिया का नाम गुरमीतो बाई उर्फ गुरमीत कौर पुत्री हुकम सिंह पत्नि संतोख सिंह किया जाना उचित होगा।

अतः अभिलेखिये साक्ष्यों एवं रिपोर्ट तहसीलदार भू0 अ0, श्रीगंगानगर के अनुसार वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया गया है।

आदेश

अतः वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम एवं 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाकर वादिया का नाम चक 1 सी बड़ी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या 62/56 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 1 ता 25 में 1.177 हैक्टे0 बारानी, 4.872 हैक्टे0 नहरी 0.151 हैक्टे0 खाला व मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 9/2 से 25/2 में 3.657 हैक्टे0 नहरी, 0.429 हैक्टे0 खाला कुल तादादी 10.286 हैक्टे0 भूमि में गुरमीतो बाई पुत्री हाकम सिंह के 127/10286 हिस्सा के स्थान पर **गुरमीत कौर पुत्री हुकम सिंह पत्नि संतोख सिंह** दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28.11.2024 को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी— स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

वाद संख्या 10/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

गुरमीत कौर पुत्री हुकम सिंह, पत्नी श्री संतोख सिंह जाति रायसिख निवासी 3 सी बडी तह० व जिला श्री गंगानगर हाल निवासी 61 एफ तह0 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
.... वादिया

ब ना म

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। .. प्रतिवादी

उपस्थित— श्री मनीष बिश्नोई (अधिवक्ता वादिया)
पैरोकार राज (प्रतिवादी—1)

दिनांकः 28 नवम्बर, 2024

वाद संख्या 10/2021
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम
एवं 136 एल. आर. एक्ट

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादिया अधिवक्ता श्री मनीष बिश्नोई व पैरोकार राज प्रतिवादी— 01 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि —

वादिया का नाम चक 1 सी बड़ी जमाबन्दी सम्बत् 2072—2075 के खाता संख्या 62/56 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 1 ता 25 में 1.177 हैक्टे0 बारानी, 4.872 हैक्टे0 नहरी 0.151 हैक्टे0 खाला व मुरब्बा नं. 34 के किला नं. 9/2 से 25/2 में 3.657 हैक्टे0 नहरी, 0.429 हैक्टे0 खाला कुल तादादी 10.286 हैक्टे0 भूमि में गुरमीतो बाई पुत्री हाकम सिंह के 127/10286 हिस्सा के स्थान पर **गुरमीत कौर पुत्री हुकम सिंह पत्नि संतोख सिंह** दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28 नवम्बर, 2024 को डिक्री जारी की गयी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर एवं,
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:46 IST
Reason: SelfAttested